राजस्व अपील संख्या : 68/2024
उनवान : घीसी व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 68/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/456

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट्स
1. घीसी पुत्री छगनजी (पत्नि मांगीलाल) जाति सरगरा निवासी सादडी, हाल रानी गांव, तहसील देसूरी, जिला पाली, राज. 2. शांति पुत्री छगनजी (पत्नि मनाराम) जाति सरगरा, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी 2. मांगीलाल पुत्र सोहनलाल (गोदपुत्र हंजा पत्नि छगनजी) जाति सरगरा, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली, राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बखिलाफ मौजा सादडी चक।। के नामान्तरकरण संख्या 894 दिनांक 19.05.2010 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भेराराम गोयल उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांकः 03.01.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत मौजा सादडी चक।। के नामान्तरकरण संख्या 894 दिनांक 19.05.2010 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश किया। अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा सादडी चक।। के खसरा नम्बर 5130 से 5139 तक कुल खसरे 10 कुल रकबा 3.0900 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि में अपीलाण्ट के जायन्दा माता हंजाबाई बेवा छगनजी के नाम का उक्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा में आया हुआ है उक्त भूमि पूर्व में हमारे दादा जसाजी पुत्र लालाजी के नाम की थी तथा हमारे पिता की मृत्यु हमारे दादा जसाजी की मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी। जिसके कारण हमारे दादा की मृत्यु होने पर उक्त भूमि में वारिसान के रुप में हमारी माता हंजा बेवा छगनजी का नामान्तरकरण हुआ था जो कि दिनांक 27.03.2010 को हमारी माता हंजा बेवा छगनजी की मृत्यु से पूर्व हमारी बहिन छोगी पुत्री छगनाजी की मृत्यु दिनांक 22.10.2008 को हो चुकी थी। हमारी माता हंजा की मृत्यु होने पर विधिक वारिसान के रुप मे हम केवल दो बहिने यानि अपीलाण्ट ही जीवित थी। मेरी माता हंजा द्वारा रेस्पोडेण्ट मांगीलाल पुत्र सोहनलाल जाति सरगरा निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली को विधि विरुद्ध हमारे पिता की मृत्यु के बाद बिना किसी रस्म अदायगी के गोदनामा करवा दिया था। जिस पर

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 68/2024
उनवान : घीसी व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उक्त भूमि में हमारी माता हंजा पत्नि छगनाजी की जगह मांगीलाल गोदपुत्र हंजा पत्नि छगनाजी, छोगी पुत्री हंजा पत्नि छगनाजी, घीसी पुत्री हंजा पत्नि छगनाजी, शांति पुत्री हंजा पत्नि छगनाजी का नामान्तरकरण उक्त भूमि में जरिये नामान्तरकरण संख्या 894 भरा गया है। जो दिनांक 19.05.2010 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण में हमारी माता के वारिसान के रुप में मृतक छोगी का भी नाम भरा गया जबकि छोगी की मृत्यु दिनांक 22.10.2008 को हो चुकी थी जो बिल्कुल गलत रुप से विधि विरुद्ध नामान्तरकरण छोगी का किया गया जो खारिज योग्य है। हमारी माता हंजा ने रेस्पोडेण्ट मांगीलाल को हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार सभी रस्म अदा करने हेतु गोद लिया था जो उसके द्वारा पुरी नहीं की गई एवं हमारी पुश्तैनी जमीन कृषि भूमि को हड़प करने के उदेश्य से उक्त गोदनामा का दुरुपयोग किया तथा रेस्पोडेण्ट मांगीलाल ने अपने जायन्दा पिता की मृत्यु के बाद भी उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण अपना अधिकार प्राप्त कर लिया जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उसका दोनो जगह हक नही हो सकता है। रेस्पोडेण्ट मांगीलाल का उक्त भूमि में जरिये नामान्तरकरण संख्या 894 के जो नामान्तरकरण भरा गया है उसके नाम गोदपुत्र के रुप में भरा गया है जो कि खारिज योग्य है। अतः ग्राम सादडी पटवार मौजा सादडी चक।। खसरा नम्बर 5130 से 5139 तक कुल खसरे 10 कुल रकबा 3.0900 हैक्टर का नामान्तरकरण संख्या 894 स्वीकृत दिनांक 19.05.2010 को निरस्त फरमावे।

अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के उपशमन हेतु एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को ग्राम सादडी पटवार मण्डल चक 2 के नामान्तरकरण आज्ञा संख्या 894 (दिनांक 19.05.2010) की जानकारी दिनांक 28.03.2024 को जरिए अधिवक्ता नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से हुई, जो अन्दर अवधिकाल है। यह कि, नामान्तरकरण स्वीकृत होने से अपीलाण्ट प्रमाणित प्रति होने की तिथि तक समय की माफी बख्शावें। फिर भी देरी की माफी हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का अलग से आवेदन पेश किया जा रहा है। अपील अपीलाण्ट म्याद में मानकर दर्ज फरमावें तथा अपील पेश करने में हुई देरी को उपरोक्त परिस्थितियों में कण्डोन फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 894 स्वीकृति दिनांक 19.05.2010 में उल्लेखित इन्द्राजों को स्वीकार करते हुए दोनो अपीलार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि मे निहित सहखातेदारी के सम्पूर्ण हक अधिकार पंजीबद्ध हकतर्क विलेख दिनांक 26.10.2010 के जरिये रेस्पोडेण्ट संख्या दो मांगीलाल गोद पुत्र छगनाजी (प्राकृतिक पुत्र सोहनलालजी) के हक में त्याग किये। प्रमाण में पंजीबद्ध हकतर्क विलेख दिनांक 24.06.2010 की प्रति सलंग्न है। पद संख्या 02 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। उक्त पद मे अपीलाण्ट ने मिथ्या, बेबुनियाद कथन उल्लेखित किये है। अपीलाण्ट द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध हकतर्क विलेख दिनांक 24.06.2010 के परिप्रेक्ष्य में जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 894 स्वीकृति दिनांक 19.05.2010 की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 24.06.2010 को होने से अपीलार्थीगण ने आवेदन में मिथ्या कथन उल्लेखित किये है कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 28.03.2024 को हुई है। पद संख्या तीन प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। अपीलार्थीगण ने स्वयं द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध हकतर्क विलेख दिनांक 24.06.2010 एवं गोदनामा दिनांक 25.03.00 के तथ्यों को छिपाकर न्यायालय एवं रेस्पोडेण्ट्स के साथ धोखा करने का असफल प्रयास किया है। अपीलार्थीगण के आवेदन एवं अपील मीमों में उल्लेखित कथन मिथ्या एवं बेबुनियाद है। अपीलार्थी पक्ष ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए उक्त आवेदन एवं संबंधित अपील प्रस्तुत की है। जिससे अपीलार्थीगण का आवेदन खारिज करते हुए मूल अपील को अवधि बाधित मानकर

अति. जिला कलक्टर
सोजत (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 68/2024
उनवान : घीसी व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी पक्ष का आवेदन खारिज फरमावे एवं अपीलार्थी पक्ष की अवधि बाधित मानकर सव्यय रेस्पोडेण्ट भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 तहसीलदार देसूरी बावजूद सूचना अनुपस्थित। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। काबिल अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5, म्याद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के जवाब पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में इस तथ्य का निर्धारण किया जाना है कि हस्तगत अपील म्याद बाधित है अथवा नहीं ? प्रकरण में जिस नामान्तरण को अपीलाण्ट द्वारा चुनौति दी गई है वह नामान्तरकरण तत्कालीन तहसीलदार देसूरी द्वारा 19.05.2010 को स्वीकृत किया गया है। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण की अपील दिनांक 23.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। जो कि नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 13 वर्ष 11 माह के असाधारण विलम्ब के पश्चात पेश की गई है।

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 में उपबन्धित है कि "कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सि.प्र.स. 1908 के आदेश 21 के उपबंधो में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।"

अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण यह बताया है कि जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 894 (स्वीकृति दिनांक 19.05.2010) की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 28.03.2024 को हुई, जब आलोच्य नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां उन्हें प्राप्त हुई। किन्तु, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत पंजीबद्ध हकतर्क विलेख दिनांक 24.06.2010 की प्रति के अवलोकन मात्र से स्पष्ट रुप से जाहिर होता है कि अपीलाण्ट श्रीमती घीसी पुत्री छगनाजी एवं शान्ति पुत्री छगनाजी द्वारा प्रश्नगत आराजी मौजा सादडी चक 2 के खसरा नम्बर 5130 से 5139 कुल खसरा 10, कुल क्षेत्रफल 3.09 हैक्टेयर में अपना हिस्सा अपने भाई एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 मांगीलाल के पक्ष में हकतर्क किया है। अर्थात अपीलाण्ट को जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 894 (स्वीकृति दिनांक 19.05.2010 एवं उसके अनुषंगी राजस्व रिकॉर्ड में हुए अमल–दरामद तथा हिस्साकशी की जानकारी उक्त हकतर्क दस्तावेज के पंजीबद्ध होने की तिथि अर्थात 24.06.2010 को ही हो गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह कथन बेबुनियाद एवं विरोधाभाषी है कि आलोच्य नामान्तरकरण की जानकारी उन्हें दिनांक 28.03.2024 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर हुई।

इस संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा 'मृतक पथपति सुब्बारेड्डी के वारिसान् बनाम विशेष उप कलेक्टर (भू अवाप्ति अधिकारी)' प्रकरण में दिए गए निर्णय को उद्धृत करना समीचीन है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि **" मियाद के बाहर पेश की हुई अपील को खारिज करने का न्यायालय का दायित्व है, चाहे विपक्षी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं उठाई हो ..... मियाद अधिनियम की धारा 5 निदेशात्मक प्रकृति की है..... ।"**

(Pathpati Subba Reddy by L.R.s & OTH. Vs. The Special Deputy Collector (L.A.): 2024(1), RRT 653 = 2024 RBJ 396 =2024 (2) DNJ (SC) 414)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं अन्य प्रकरण–**Union Of India Vs. J.B. Jeejeebhoy** में अपने **निर्णय दिनांक 03.04.2024** में म्याद अधिनियम की धारा 5 के संबंध में

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 68 / 2024

उनवान : घीसी व अन्य बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दो निष्कर्षात्मक टिप्पणीयां अंकित की है जिनको हस्तगत प्रकरण में उद्धृत किया जाना समीचीन है (2024 (1) **RRT 694**) :–

1. **Length Of delay is also releant while considering the Condonation of delay.**
2. **It Would Be Mockery of Justice it delay of more than 12 years is condoned.**

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, बहस के दौरान उठाए तर्कों तथा उपरोक्त न्यायिक नजीरों के आलोक में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 894 स्वीकृति दिनांक 19.05.2010 के विरुद्ध विचाराधीन नामान्तरकण अपील में अपीलार्थीगण 13 वर्ष एवं 11 माह के असाधारण विलम्ब के उपरान्त अपील प्रस्तुत करने एवं उक्त विलम्ब के उपशमन हेतु सन्तोषप्रद कारण प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

लिहाजा, हस्तगत नामान्तरकरण अपील (अन्तर्गत धारा 75 RLR Act) का गुणावगुण आधार पर विवेचन किए बिना ही, म्याद के बिन्दु पर अर्थात निर्धारित समयावधि से देरीना प्रस्तुत किये जाने पर म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1) के उपबन्धानुसार खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली, जिला-पाली
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner